न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/08/2018 वाद — दायर दिनांक 22.02.2018

उनवान

1. बंशीलाल पिता मथुरालाल जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता मिठूलाल जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी सौमानी मोहल्ला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. दुर्गालाल पिता रामचन्द्र जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम 69, जे0पी नगर हिरणमगरी सेक्टर 8–उदयपुर (राज0)
3. चन्द्रकला पिता रामचन्द्र जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम 69, जे0पी नगर हिरणमगरी सेक्टर 8–उदयपुर (राज0)।
4. रूकमणबाई पत्नि स्व०रामचन्द्र जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम 69, जे0पी. नगर हिरणमगरी सेक्टर 8–उदयपुर (राज0)।
5. राधेश्याम पिता मथुरालाल जाति महाजन (लड्ढा) आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम ई 2/2 पंचवटी सेंथी, चितौडगढ तहसील चितौडगढ जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा — –वादी

एकतरफा — –प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 19.07.2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन की जमाबन्दी संवंत् 2072–2075 खाता संख्या 854 में निम्न आराजी खसरा नम्बर स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्से से वादी प्रतिवादीगण संख्या 5 पॉच के संयुक्त खातेदारी से दर्ज है व 1/3 हिस्से से प्रतिवादीगण संख्या एक एवं 1/3 हिस्से प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 4 तक के नाम पर संयुक्त खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर संयुक्त कब्जे काश्त में है। आराजीयात का विवरण इस प्रकार है– आ0नं0 1830 रकबा 0.43 हैक्ट0, आ0नं0 1831 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0नं0 1832 रकबा 0.07 हैक्ट0, आ0नं0 1833 रकबा 0.16 हैक्ट0, आ0नं0 1862 रकबा 0.27 हैक्ट0, आ0नं0 1867 रकबा 0.03 हैक्ट0, आ0नं0 1868 रकबा 0.16 हैक्ट0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.14 हैक्ट0 स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात का विधिवत किसी प्रकार का कोई विभाजन खातेदारान के मध्य नही हो रखा है। इस कारण खातेदारान के मध्य सीमा हिस्से व लगान को लेकर मन मुटाव रहने लग गया इस कारण भविष्य में सुविधा की दृष्टि से परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इस कारण वादी वाद वर्णित आराजीयात में स्थित हिस्से अनुसार आराजीयात का विभाजन कराना चाहता है एवं जिस खातेदार के जो हिस्सा विभाजन में आवे उसको राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी से दर्ज कराना चाहता है। जिससे प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ करने, विकास करने आदि में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी ।

यह कि दिनांक 3 जनवरी 2018 को मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब कपासन से निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दीजियेगा तो उन्होने असमर्थता जाहिर की एवं कहा कि सभी खातेदारो की उपस्थिति में ही ऐसा संभव हो सकता है। तो मैने सभी सहखातेदारो को उपस्थित रहने बाबत सूचना दी परन्तु सभी का एक साथ उपस्थित होना संभव नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 3 जनवरी 2018 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि–

(अ) पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात के हिस्से अनुसार विभाजन की डिकी प्रदान की जाकर प्रत्येक खातेदार के नाम हिस्से अनुसार अलग अलग राजस्व रेकार्ड में आराजीयात का इन्द्राज किया जावे।

(ब) अन्य दाद जो मुफीद वादी हो एवं न्यायालय आप द्वारा वादी को दिलाया जाना न्यायोचित हो वह भी दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज मेहता का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 17.07.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 को प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 20.06.2024 से शा0फा0 की गयी। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन व पक्षकारान का विभाजन प्रस्ताव पर सहमति हस्ताक्षर होने से आज दिनांक 19.07.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 875 के आ0नं0 1830 रकबा 0.43 हैक्ट0, आ0नं0 1831 रकबा 0. 02 हैक्ट0, आ0नं0 1832 रकबा 0.07 हैक्ट0, आ0नं0 1833 रकबा 0.16 हैक्ट0, आ0नं0 1862 रकबा 0.27 हैक्ट0, आ0नं0 1867 रकबा 0.03 हैक्ट0, आ0नं0 1868 रकबा 0.16 हैक्ट0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.14 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र 1/3, रूकमणबाई पत्नी रामचन्द्र 1/3, चन्द्रकला पुत्री रामचन्द्र 1/3 जाति महाजन सा0 देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:36 IST
Reason: SelfAttested

क.स.	आ0स0	र[illegible]	किस्म
1	1867	0.03	बी0 1
2	1868	0.16	न0 1
3	1862	0.09	बा0 2
योग	कुल किता–03	0.28	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. रामेश्वरलाल पुत्र मिठुलाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1830 मी0	0.31	बी0 1
2	1831	0.02	बी0 1
3	1832/1	0.01	बा0 2
4	1862 मी0	0.09	बा0 2
योग	कुल किता–04	0.43	

3. बंशीलाल पुत्र मथुरालाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1833 मी0	0.13	न0 1
2	1832 मी0	0.04	बा0 2
3	1862/3	0.0450	बा0 2
योग	कुल किता–03	0.2150	

4. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1830/1	0.12	बी0 1
2	1832/2	0.02	बा0 2
3	1862/2	0.0450	बा0 2
4	1833/1	0.03	न0 1
योग	कुल किता–04	0.2150	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:36 IST
Reason: SelfAttested